संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Website: www.mpurban.gov.in
E-mail-rajesh.shrivastava@mpurban.gov.in
Phone No.-0755-2575491

क्रमांक / शाखा–02 / 13 (1) / 2022 / 19739 भोपाल, दिनांकः 18/11/2022

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् / नगर परिषद्,
मध्यप्रदेश।

विषयः–उपभोक्ता प्रभार की दरों के निर्धारण हेतु निर्मित नियमों के कियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः–मध्यप्रदेश नगर पालिका (जलप्रदाय, मल–जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार) नियम, 2020 यथा संशोधित दिनांक 29.12.2021

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 (ख) के अधीन राज्य शासन द्वारा जलप्रदाय, मल–जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभार की दरों का निर्धारित करने के लिये नियम बनाये गये हैं जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन कमांक 360 दिनांक 28.09.2020 को किया गया है। तदुपरांत राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29.12.2021 द्वारा उक्त नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है।

2. नगरीय निकायों द्वारा उक्त नियमों के नियम–3 के उपनियम (1) में दिये गये मानदण्डों अनुसार जलप्रदाय, मल–जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार की दरों का निर्धारण किया जायेगा। नियम–3 के उपनियम (1) को नीचे पुनरूत्पादित किया गया है।

नियम–3 (1) अन्तर्गत समस्त नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा समस्त नगर पालिका परिषद् / नगर परिषद्, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–ख के उपबंधों के अधीन जलप्रदाय, मल–जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार की दरें नीचे दिये गये मानदण्ड के अनुसार निर्धारित करेंगी :–

कण्डिका (एक) अन्तर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा अथवा सनंदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउण्टेंट) द्वारा अंकेक्षित नियम–4 में उल्लिखित मदों पर वास्तविक व्यय के आधार पर जल उपभोक्ता प्रभार की गणना ऐसी रीति में की जायेगी कि जलप्रदाय सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर उपगत वार्षिक व्यय की शत्–प्रतिशत वसूली की जा सके;

कण्डिका (दो) अन्तर्गत नियम–5 में उल्लिखित मदों पर अकेक्षित वास्तविक व्यय के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार की गणना ऐसी रीति में की जायेगी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के प्रचालन और संधारण पर उपगत वार्षिक व्यय की शत्–प्रतिशत वसूली की जा सके;

कण्डिका (तीन) अन्तर्गत ऐसी नगर पालिका में जिसमें मल–जल सेवायें उपबंधित हैं, मल–जल सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिये मल–जल सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार, जलप्रदाय सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार का न्यूनतम चालीस प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा;

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Website: www.mpurban.gov.in
E-mail-rajesh.shrivastava@mpurban.gov.in
Phone No.-0755-2575491

कण्डिका (चार) अन्तर्गत फीकल (मल) सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये उपभोक्ता प्रभार परिवहन तथा उपचार की वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा सेप्टिक टैंक के मलत्याग (डेस्लजिंग) पर प्रभारित किया जायेगा;

परन्तु इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप आवासीय इकाईयों के संबंध में उपभोक्ता प्रभारों की प्रचलित दरें किसी भी वित्तीय वर्ष में पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जायेंगी।

परन्तु यह भी कि इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप यदि गैर आवासीय इकाईयों, औद्योगिक इकाईयों तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय इकाईयों के संबंध में उपभोक्ता प्रभारों की प्रचलित दरों में सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जाती है, तो सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि चरणों में, ऐसी रीति में लागू की जायेगी कि तीसरे वर्ष के अंत तक, उपनियम (1) के खण्ड (एक) एवं (दो) के अनुसार सेवाओं पर उपगत वार्षिक व्यय शत्–प्रतिशत वसूल हो जाये।

टीपः–जलप्रदाय सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार की गणना उपाबंध–1 में दिये गये उदाहरण के अनुसार की जायेगी।

3. उपरोक्त नियमों के प्रावधानुसार नगरीय निकायों द्वारा उपभोक्ता प्रभार की दरों का निर्धारण अधिसूचित सेवाओं के संचालन–संधारण पर होने वाले वार्षिक व्यय के आधार पर किया जावे कि उक्त वार्षिक व्यय प्रस्तावित अधिकृत समिति द्वारा आवश्यक रूप से अनुमोदित हो। उक्त कार्यों के लिये शासन द्वारा निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है :–

(1) संबंधित नगर पालिक निगम (राज्य स्तर) –

(i)	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास अथवा आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी	– अध्यक्ष
(ii)	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	– सदस्य
(iii)	संयुक्त संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास	– सदस्य
(iv)	संबंधित नगर पालिक निगम के आयुक्त	– सदस्य
(v)	प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास	–सदस्य सचिव

(2) संबंधित नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् –

(i)	संबंधित संभागीय आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी	– अध्यक्ष
(ii)	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	– सदस्य
(iii)	संयुक्त संचालक (वित्त) नगरीय प्रशासन एवं विकास	– सदस्य
(iv)	संबंधित नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् के मुख्य नगर पालिका अधिकारी	– सदस्य
(v)	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास	–सदस्य सचिव

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Website: www.mpurban.gov.in
E-mail-rajesh.shrivastava@mpurban.gov.in
Phone No.-0755-2575491

अतः उपरोक्तानुसार गठित समितियों के माध्यम से उपभोक्ता प्रभार की दरें निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

14/11/22
(भरत यादव)
वि.क.अ.–सह–आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक / शाखा–02 / 13(1) / 2022 / 19740 भोपाल, दिनांक: 16/11/2022
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
5. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (वित्त), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
9. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कन्टेन्ट मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/11/22
वि.क.अ.–सह–आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.